R 841-III/2000

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

COURT FEE 1 रु. INDIA एक रुपया ONE RUPEE — COURT FEE 2 रु. INDIA एक रुपये RUPEES — COURT FEE 2 रु. INDIA दो रुपये 0 RUPEES — FEE 10 रु. INDIA रुपये EES

C.P.As 151-2

शिवरतन तनय रामचरण, निवासी - टावा, तह०- हनुमना जिला रीवा (म०प्र०) ——————आवेदक

बनाम

1- गंगा देई पत्नी रघुनन्दन प्रसाद ब्रा०, सा०- अमहा, तह०- हनुमना जिला रीवा म०प्र०

2- सहन्ती देवी पत्नी गोपीनाथ ब्रा०, सा०- पलौना, तह०- हनुमना जिला रीवा म०प्र० ——————अनावेदकगण

निगरानी आवेदन विरुद्ध अपील प्रकरण क्रमांक- अपील /177/36/97-98 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, निर्णय दिनांक 29/2/2000 अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई.

क्रमांक ..... दिनांक 26/5/2000
श्री ..... द्वारा प्रस्तुत
कमिश्नर ..... दिनांक 26/5/2000
को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर
26 MAY 2000

मान्यवर,

//: संक्षिप्त तथ्य :://

ग्राम बटिहरा, तह०- हनुमना की आराजी नं. -608 रकबा 3.82 ए., आराजी नं.-609 रकबा 5.16 ए., आ. नं.-610 रकबा 1.25 ए. आराजी नं.-611 रकबा 1.55 ए., आ. नं. -612 रकबा 1.78 ए., आ. नं. 630 रकबा 1.50 ए. आ. नं.-632 रकबा 0.39 ए. आ. नं.-636 रकबा 0.22 ए., कुल किता 9 रकबा 16.29 ए. में से अपने हिस्से यानी 1/3 को दिनांक 28/2/74 के कास्तकारी पाट एवं इजहार के जरिये आवेदक शिवरतन तनय रामचरण के हित में भूमिस्वामी फुलवंती ने हस्तान्तरण किया एवं नामान्तरण की पुष्टि में न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान भी दिया, जिस आदेश से परिवे- दित होकर अनावेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में [illegible] की, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील को भी अस्वीकृत [illegible] निचले न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा, जिस आदेश से विक्षु- [illegible]

R-841-III/2000

578116

आवेदक आश्रम को समय-समय-
पर आवास बनवाई गई थी उ० नहीं।

आवेदक आश्रम का मुकदमा आजीव.
उपस्थित नहीं अतः अनुपस्थित दर्ज करते
हुये प्रकरण अग्रिम पेशी में सुनवाई
किया जाता है।

सदस्य